भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं० 2096

दिनांक 04.07.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत सहायता

2096. श्री निहाल चन्दः

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के तहत उठाये गए प्रभावी कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार पेयजल संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए देश के ग्रामीण क्षेत्रों को कोई विशेष सहायता प्रदान करने का है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) गत एक वर्ष के दौरान देश में राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों को उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है और पेयजल संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय

(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) से (घ) हालांकि ग्रामीण पेयजलापूर्ति राज्य का विषय है। जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नल युक्त जलापूर्ति के कवरेज में सुधार लाने हेतु राज्यों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है। पिछले एक वर्ष के दौरान एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत राजस्थान सहित सभी राज्यों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता (जारी निधियाँ) राशि **अनुलग्नक** पर दी गई है।

मंत्रालय ने नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति) आयोग द्वारा पहचान किए गए आकांक्षी जिलों में सामुदायिक मांग आधारित, एकल ग्राम, विशिष्ट रूप से सौर ऊर्जा आधारित नल युक्त जलापूर्ति स्कीम, 'स्वजल' कार्यक्रम की शुरूआत की है जिससे सुविधारहित ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, मंत्रालय ने आर्सेनिक तथा फ्लोराइड से प्रभावित 27544 ग्रामीण बसावटों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 22.03.2017 को राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन (एनडब्ल्यूक्यूएसएम) कार्यक्रम की शुरूआत की है।

इसके अतिरिक्त, राज्य, पेय जलापूर्ति में सुधार हेतु, जो कि एक मूलभूत आवश्यकता है, चौदहवें वित्त आयोग के तहत उपलब्ध कराई गई वर्धित निधियों तथा साथ ही ग्रामीण स्थानीय निकायों को प्रत्यक्ष तौर पर उपलब्ध कराई गई निधियों का उपयोग कर सकते हैं।

अनुलग्नक

दिनांक 04.07.2019 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2096 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक		
		(करोड़ रूपए में)
क्र.सं.	**राज्य**	**रीलिज**
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.31
2	आंध्र प्रदेश	185.85
3	अरुणाचल प्रदेश	90.89
4	असम	300.76
5	बिहार	234.84
6	छत्तीसगढ़	48.19
7	गोवा	1.67
8	गुजरात	222.27
9	हरियाणा	76.76
10	हिमाचल प्रदेश	85.43
11	जम्मू एवं कश्मीर	249.34
12	झारखंड	85.12
13	कर्नाटक	276.06
14	केरल	84.86
15	मध्य प्रदेश	243.62
16	महाराष्ट्र	239.06
17	मणिपुर	37.73
18	मेघालय	49.15
19	मिजोरम	26.25
20	नागालैंड	17.36
21	ओडिशा	128.82
22	पुडुचेरी	0
23	पंजाब	119.41
24	राजस्थान	655.41
25	सिक्किम	10.89
26	तमिलनाडु	167.31
27	तेलंगाना	123.18
28	त्रिपुरा	51.73
29	उत्तर प्रदेश	670.72
30	उत्तराखंड	92.97
31	पश्चिम बंगाल	890.28
कुल		**5,466.24**

स्रोत: आईएमआईएस,डीडीडब्ल्यूएस